न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 60 / 2015

1 खुशी मोहम्मद पुत्र भोले खां आयु 28 साल जाति कायमखानी मुसलमान निवासी गोविन्दपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 हाजरा पत्नी मुकारब खां जाति कायमखानी मुसलमान निवास गोविन्दपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1/1 निसार खां पुत्र हाजरा व मुकारब खां
1/2 आमिना बानो पुत्री हाजरा व मुकारब खां
1/3 जरिना बानो पुत्री हाजरा व मुकारब खां
1/4 अख्तार बानो पुत्री हाजरा व मुकारब खां
1/5 नसरीन पुत्र हाजरा व मुकारब खां
1/6 फारू पुत्री हाजरा व मुकारब खां
1/7 धापा बानो पुत्री हाजरा व मुकारब खां
1/8 जीना पुत्री हाजरा व मुकारब खां
समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासी गोविन्दपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 युसुफ पुत्र मनीर खां
3 रफीक पुत्र मनीर खां
4 आलम अली पुत्र भोले खां
5 शाहरूख पुत्र भोले खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी गोविन्दपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांकित 31.03.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर बमुकदमें उनवानी
हाजरा बनाम युसुफ वगै. दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मु.नं. 146/2013 (पुराना नम्बर 86/2010)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 146/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 106 जिसके हाल खसरा नम्बर 153 वाके ग्राम गोविन्दपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त मुकदमा में विचारण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 03.02.2015 वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी ।कानूनन कायमी तनकीयात हेतु नियत पेशी पर पक्षकारान की न्यायालय में अनुपस्थिति पर न तो वाद गैरहाजरी में खारिज किया जा सकता है न ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान का उल्लंघन कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। उक्त दावा में विचारण न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी एवं अन्य प्रतिवादीगण तथा उनके अभिभाषक नियमित रूप से तारीख पेशियों पर हाजिर हो रहे थे। उक़्त मुकदमें में तारीख पेशी दिनांक 03.02.2015 वास्ते कायमी तनकीयात नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट/प्रतिवादी के अभिभाषक विचारण न्यायालय में उपस्थित हुये थे। उक्त तारीख पेशी पर ही विचारण न्यायालय में इसी उनवान की कोई एक अन्य पत्रावली 'हाजरा बनाम मो. युसुफ' सुनवाई हेतु नियत थी। जिसमें आगामी तारीख पेशी 07.04.2015 विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई। प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा संहवन से उक्त अन्य पत्रावली में नियत तारीख पेशी 07. 04.2015 को उक्त मुकदमा की तारीख पेशी समझकर दर्ज कर ली गई। जो एक मानवीय भूल थी। जो क्षम्य थी। रेस्पोडेन्ट/वादिया ने जिस दानपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है वह दानपत्र एक फर्जी, अवैध एवं शुन्य दस्तावेज है। क्योकि उक्त फर्जी दानपत्र के निष्पादन के समय रहमान खां विदेश में मजदूरी करने गया हुआ था इसके बावजूद भी इसकी फर्जी अंगूठा निशानी दानपत्र पर अंकित की गई है। इसके अलावा युनुस खां व शौकत खां को नाबालिग दर्शाकर उनकी माता इलायची को बतौर संरक्षक दर्शाकर उकसी फर्जी अंगूठा निशानी उक्त दान पत्र पर अंकित की गई है जिसकी पुष्टि वादिया व उसके सहयोगियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट से होती है। इसके अलावा उक्त तथाकथित दानपत्र के निष्पादन के समय रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के पिता मनीर खां भी विदेश में थे जिनकी अंगूठा निशानी भी उक्त दान पत्र पर फर्जी दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त फर्जी, कूटरचित एवं शुन्य दस्तावेज के आधार पर वादिया को वादग्रस्त भूमि में कोई खातेदारी हकूक किसी किस्म के प्राप्त नहीं हुए है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 106 जिसके हाल खसरा नम्बर 153 वाके ग्राम गोविन्दपुरा का पेश किया। विचारण न्याय़ालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वाद के पक्ष में दानपत्र दिनांक 28.11.1983 के आधार पर नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 13.07.1985 स्वीकृत किया जाकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस दानपत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दानपत्र को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम स्वीकृत नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 13.07.1985 को भी चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.02.2015 को अमल में लाई गई है एवं दिनांक 24.02.2015 को प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 दिनांक 18.05.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम के आदेश एवं आवेदन आदेश 09 नियम 13 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। इसके अभाव में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली कं अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 106 जिसके हाल खसरा नम्बर 153 वाके ग्राम गोविन्दपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वाद के पक्ष में दानपत्र दिनांक 28.11.1983 के आधार पर नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 13.07.1985 स्वीकृत किया जाकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस दानपत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दानपत्र को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम स्वीकृत नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 13.07.1985 को भी चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.02.2015 को अमल में लाई गई है एवं दिनांक 24.02.2015 को प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 दिनांक 18.05.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है।

अनिल कुमार IAS
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम के आदेश एवं आवेदन आदेश 09 नियम 13 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर चुनौती नहीं दी गई है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर